E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

मुगलकालीन मोहना के तोमर राजपूत जागीरदारों की प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था का ऐतिहासिक अध्ययन

प्रो. डॉ. (श्रीमती) मीना श्रीवास्तव

शोध मार्गदर्शक, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष इतिहास शासकीय स्नातकोत्तर कमला स्वशासी राजा कन्या महाविद्यालय, ग्वालियर (म. प्र.)

नितेश धनेलिया

शोधार्थी, विषय : इतिहास, जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर (म. प्र.)

Paper Rcevied date

05/10/2025

Paper date Publishing Date

10/10/2025

DOI

https://doi.org/10.5281/zenodo.17362165

IMPACT FACTOR 5.924

शोध सार

मोहना की आगीरदारी के समय में मुगलकाल (1577 से 1778 ई. तक) में अकबर जहागीर शाहजहा एवं औरंगजेब आदि प्रमुख बादशाह थे। इनके समय में भारतीय समाज आर्थिक दृष्टि से विभिन्न नागों में बटा हुआ है। सबसे श्रेष्ठ स्थिति बादशाह बजे-बड़े मनसबदारों और राजपूत राजाओं की थी। विभिन्न करी को वसूल करने के अतिरिक्त बादशाह राज्य का सबसे बड़ा उद्योगपति और व्यापारी था । बादशाह उसका दरबार और हर वैभय और विलासिता के केन्द्र थे। इसी प्रकार की स्थिति राज्य के बड़े-बड़े मनसबदारों और राजपूत राजाओं की थी उन्हें बड़े-बड़े वेतन और जागीरे प्राप्त थी। और वे सम्पूर्ण वैभव और विलासिता का उपभोग करते थे। उनके पश्चात् राजा के अना कर्मचारी थे ।

मुख्य बिंदु- जागीरदारी मनसबदार विलासिता कर दरवार वैभव, वर्ग ।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

भू-राजस्व व्यवस्था का संबंध आदिकाल से रहा है इसके द्ववारा क्षेत्र की गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी एवं दरिद्रता को दूर किया जाता है। भू-राजस्व व्यवस्था क्षेत्र के शासको के द्वारा और उनकी स्वामी भूमिका करने वाले जमींदारों व जागीरदारों द्वारा संचालित होती है जिससे बहुत सारी भू-संबंधी समस्या का निराकरण होता था और क्षेत्र के लोगों को लाभ व हानि दोनों प्राप्त होते थे अधिकतर लोग भू-व्यवस्था पर निर्भर थे औद्योगीकरण का अभाव था परिवार की जीविका चलाने के लिए लोग कृषि पर निर्भर थे जिसके द्वारा परिवारो का पालन पोषण होता था । भू-राजस्व व्यवस्था में असमानता थी उसका कारण जमींदार बार जागीरदारों ने भूमि पर कब्जा कर रखे थे और गरीब कृषक को उतना लाभ नहीं मिलता।

प्राचीन काल से देश की पूरी ज़मीन का स्वामी उस देश का राजा एवं बादशाह हो समझा जाता रहा है। इसलिये जमींदार अपनी जमीन के लिये ज़मीन के असली मालिक राजा को लगान या कर देते आये थे। यह ठीक है कि जमीन की मलकियत के पक्के अधिकार ज़मींदार को ही दिये जाते रहे। लेकिन उस ज़मीन की पैदावार उन ज़मींदारों को राजा के साथ बांटनी पड़ती थी या पड़ती रही थी या फिर वे उस जमीन का मालिया भरते रहे हैं। किसी सेवा के बदले यह ज़मीन किसी के पूरे जीवन काल के लिये या हमेशा के लिये उसके परिवार को राज्य सरकार की ओर से प्राप्त हो जाती थी जिसका मालिया एवं आय वह आदमी या उसका परिवार खाता था। इसी तरह मुगल शासकों ने अपने राज्य की भूमि के चौथे भाग का मालिया तथा सम्बन्धित अन्य कर वसूल करने तथा अपने इस्तेमाल में लाने का अधिकार अपनी प्रजा के कुछ लोगों को दे रखा था। इन इलाकों या स्थानों को जिनका मालिया किसी सेवा के बदले कुछ आदमियों को दे दिया जाता था तो उसे जागीर कहते थे तथा इन जागीरों के मालिकों को जागीदार कहते। (1) 17वीं शताब्दी में 'जमा' को जो जागीरों के सम्बन्ध में प्रयोग किया जाता 'जमा - ए - दामी' कहा जाता था क्योंकि जागीर की आय का अनुमान जमा की रक्त में प्रगट किया जाता था। (2) जागीरदार पर सरकारी कन्ट्रोल (Control of Government on Jagirdars) : हर प्रान्त में वित्त विभाग का प्रतिनिधि दीवान होता था ।

जागीरदारी व्यवस्था भू-राजस्व आवंटन के द्वारा वेतन भुगतान का एक तरीका था । जागीरदारों को अपना निजी खर्च चलाने और पादशाह की सेवा के लिए रखी फौजी टुकड़ियों के रख-रखाव पर खर्चा करने का अधिकार था। वेतन भुगतान अर्थात् कि जागीर मिलने का आशय यह था कि उसका दावा केवल 'महाल या

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

परगना से प्राप्त राजस्व तक ही सीमित था । नियतन आदेश में यह बात साफ तौर पर लिखी जाती थी । यद्यपि जागीरदार को नियत - भूमि पर स्थायी अधिकार प्राप्त नहीं थे फिर भी यह देखा गया है कि मुगल शासन में कुछ जागीरे वंशानुगत आधार पर भी प्राप्त थी। (3) संभवतया इसी कारण श्यामसिंह के उपरांत उनके वंश का आधिपत्य, मोहना की जागीरदारी पर भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व तक रहा था । जागीरदारी प्रथा समाप्त होने पर यह अधिपत्य समाप्त हो गया। मोहना में जागीरदारी व्यवस्था, लगान व्यवस्था एवं भू-राजस्व व्यवस्था थी, जिस कारण से कृषक समुदायों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से काफी राहत मिलती थी ।

जागीरदार मनसवदार व्यवस्था का संचालन करता था तथा वह फौज की टुकड़ियों को रखता था और उनके पालन-पोषण तथा उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। वह जागीरदारी से मिलने वाली आय का कुछ हिस्सा फौज पर खर्च करता था कुछ हिस्सा शासको को देता था और अपने स्वयं के परिवार पोषित करता था। इस प्रकार से जागीरदार मनसबदार व्यवस्था का प्रबंधन करते थे।

जागीरदार एक मनसबदार होता था, इसलिए उसे नियत मात्रा में फौजी टुकड़ियां रखनी पड़ती थीं । प्रत्येक मनसबदार स्वेच्छा से अपने सैनिकों की भर्ती करता था। और स्वयं उनके अस्त्र-शस्त्र, शिक्षा, वेतन आदि के लिए उत्तरदायी था । अधिकांशतया मनसबदार अपनी सेना में अपनी जाति के सैनिकों को ही भर्ती करते थे । (4) वह चौधरियों, कानूनगो, देशमुखों और कृषकों से नियत मात्रा में राजस्व वसूलता था किन्तु उसकी कृषकों और सरकार के मध्य विचौलिए की स्थिति नहीं थी, क्योंकि जागीर से जो आय होती थी उसकी विनियोजन उसी के लिए होता था। अकबर और औरंगजेब कालीन उपलब्ध साक्ष्यों से सरकार द्वारा नियंत्रण रखने के लिए एक अलग दीवान था। जागीरदार को राजस्व निर्धारण और संग्रहण से संबंधित सभी सरकारी विनियमों का अनुपालन करना पड़ता था। राजस्व संग्रह के मामलों में फसल बर्बाद हो जाने की हालत में यदि पादशाह किसानों को किसी प्रकार की छूट देता था, तो ऐसी स्थिति में उसे अपनी दावेदारी में से एक हिस्सा त्यागना पड़ता था । मुगल बादशाह अकबर के नागरिक शासन प्रबंध के अन्तर्गत उसका साम्राज्य निम्नानुसार था (1) केन्द्रीय शासन- व्यवस्था (2) प्रान्तीय या सूबों की शासन व्यवस्था (3) सरकार या जिले की शासन व्यवस्था (4) परगने या महाल की शासन व्यवस्था (5) नगरों की शासन व्यवस्था

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

(6) गाँवों की शासन व्यवस्था। मुगलकाल में बनाये गये अधिकतर कानूनों को मोहना के जागीरदार मानते थे। मुगलों ने अपनी सुविधानुसार कानून बनाये थे, जिससे उनके नजदीक लोग आर्थिक दृष्टि से सशक्त हो सकें।

राज्य में जागीरदारों की भी पर्याप्त संख्या थी, जिन्हें इन कार्यों में विशेष रुचि न थी। इन जागीरदारों को ग्वालियर दरबार से जागीरें मिली थीं। यह लोग या तो महाराज साहब के खानदान या रिश्तेदारों में से थे। इनमें कुछ बड़े सम्माननीय अधिकारी थे या उन खानदानों की नस्ल से थे जिनकी खिदमत रियासत में काबिले-कद्र थीं।

जागीर क्षेत्रों का प्रबन्ध जागीरदारों द्वारा किया जाता था और उनमें से कुछ को राजस्व न्यायिक तथा पुलिस के अधिकार भी दिए गए थे। यदि उनका प्रबन्ध दोषपूर्ण होता था, तो जागीर कोर्ट ऑफ वाडर्स के अधिकार में दे दी जाती थी। जागीरों के प्रशासन में सुधार की दृष्टि से 1908 में एक पृथक विभाग बनाया गया और उस अधिकारी को मुंतजिम जागीरदारान' कहा गया।

जागीर क्षेत्रों में भी उचित राजस्व पद्धति लागू कराने की दृष्टि से नियमित भू-मापन तथा बन्दोबस्त कार्य प्रारम्भ किये गये थे। लगभग 1940-41 तक प्रायः सभी जागीर क्षेत्रों में बन्दोबस्त कार्य पूरे हो चुके थे। "राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना के तत्काल बाद ही 1948 में जागीरदारों से न्यायिक शक्तियों के साथ ही राजस्व शक्तियाँ भी वापिस ले ली गई। (6)

परगने की प्रशासकीय स्थिति

सरकार प्रशासन जिला प्रशासन के नीचे की प्रशासनिक इकाई परगना कहलाती थी मोहना की गढ़ी से प्राप्त संभव 1646 (1589 ई.) के शिलालेख से प्रमाणित होता है कि मोहना उसे समय मोहना एक परगना था।

मोहना की गढ़ी से प्राप्त संवत् 1646 (1589 ई.) के शिलालेख की पंक्ति क्रमांक तीन एवं चार में उल्लिखित है कि 'सीरकार गुव्वारिअरू पिरगनौ" जिससे यह प्रमाणित होता है कि जिस समय यह शिलालेख उत्कीर्ण किया गया था। उस समय राव श्यामसिंह के काल में मोहना 'परिगना' था जो 'ग्वालियर सरकार' अर्थात् कि ग्वालियर जिले के अन्तर्गत स्थापित था। परिगना को मुगलकाल में 'महाल' भी कहा जाता था। उपर्युक्त

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

शिलालेख की पंक्ति क्रमांक है एवं सात में उल्लिखित 'श्री रावस्वाम साहिजु' से यह भी ज्ञात होता है कि उस समय श्यामसिंह तोमर के नाम के आगे 'श्री' एवं 'राव' जैसे सम्माननीय शब्दों का प्रयोग किया जाता था। 'राव' राजपूत राजाओं अथवा सरदारों की पदवी होती थी जो सम्राट बादशाह के द्वारा दी जाती थी। (7)

मोहना के राजपूत जागीरदार मुगलकाल के प्रशासकीय नियम, कानून का अनुसरण करते थे। मोहना के तोमर जागीरदार एवं अकबर के अच्छे मधुर संबन्ध थे, इसके अलावा ग्वालियर के मराठा शासकों के साथ संबन्धो का विस्तारीकरण हुआ, जिससे उनकी प्रशासकीय स्थिति सुदृढ़ हो गई। राव स्वाम साहिजु' अर्थात् कि श्यामसिंह ग्वालियर जिले के अन्तर्गत मोहना परिगना के जागीरदार थे। यह जागीर उन्हें अकबर ने प्रदान की थी। अतः मोहना परिगना के मुखिया श्यामसिंह तंवर ने मोहना और उसके आस-पास के अकबर द्वारा प्रदत्त 359 गाँवों की जागीरदारी संभाली थी। परगना संस्कृत शब्द प्रतिर्जागणक अधवा प्रतिगण का ही बिगड़ा हुआ रूप है। मुगल प्रशासन में शासन की धुरी सम्राट ही हुआ करते थे और राज्य के सभी मामले उनके इर्द-गिर्द घूमा करते थे। (8) अकबर ने परगनों का शासन सुव्यवस्थित एवं संगठित किया। भौगोलिक एवं ऐतिहासिक परम्परा के आधार पर परगनों की सीमाएं निश्चित की गई। अकबर के शासन के अन्त में सौ से अधिक सरकारें तथा लगभग 5,000 महाल या परगने थे (9) परगने के प्रशासन में एक शिकदार, आमिल, फौजदार या खजांची, कानूनगो तथा कारकून या लिपिक आदि नियुक्त थे।

- शिकदार

यह परागने का कार्यकारी अधिकार होता था तथा परगने में उसके वही कार्यभार थे जो सरकार में फौजदार वह कौतवाल दोनों के होते थे। मोहना की जागीरदारी व्यवस्था में शिकदार की अहम् भूमिका थी, जिसके द्वारा बहुत सी व्यवस्थाएँ नियंत्रित एवं संचालित होती थी। शिकदार परगने के सभी प्रशासकीय कार्मचारियों से समय - समय पर उनका स्पष्टीकरण माँगता था। "शिकदार परगनों का प्रमुख प्रशासक था परगने की शांति एवं सुव्यवस्था तथा लगान वसूल करने में आमिल की सहायता करना, शासन की प्रत्येक आज्ञा का कार्यान्वयन उसके प्रमुख कार्य थे। काश्तकारों द्वारा खजाने में जमा करने के लिए लाये गये मालगुजारी के रुपयों को वह संभालता था तथा खजाने के कर्मचारियों के काम की पूरी निगरानी करता था। वह फौजदारी के

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

मामले भी निबटाया करता था, किन्तु एक मजिस्ट्रेट के रूप में उसके अधिकार बहुत ही सीमित थे। जो मुकदमें में उसकी समझ और अधिकार के बाहर होते थे। उन्हें वह सरकार के कोतवाल के यहां भेज देता था ।"

- आमिल या मुन्सिफ

परगना मैं भू-राजस्व का प्रमुख आमिल होता था डॉक्टर ए. एल श्रीवास्तव के अनुसार आमिल परागने में वही कार्य करता था जो अमलगुजार सरकार जिले में करता था। यह परगने का वित्त-अधिकारी था। किसानों से लगान वसूल करना उसका मुख्य कर्तव्य था। गाँव के मुखिया के जरिये नहीं बल्कि काश्तकारों से उसे सीधा संबंध रखना पडता था। अकबर ने अपने शासनकाल के 18 वें वर्ष प्रत्येक परगने (महाल) में, जिसको जिसकी मालगुजारी आय प्रतिवर्ष 1 करोड़ दाम (35,000 रु.) थी, एक आमिल नियुक्त किया, जिसे जनसाधारण में 'करोडी' कहा जाता था ।

- फौजदार या खजांची

यह परगने का खजांची था और खजाने की सुरक्षा उसका मुख्य दायित्व था । परगने की अर्थव्यवस्था खजांची द्वारा देखी जाती थी, आय-व्यय का ब्यौरा खजांची रखता था ।

- कानूनगो

कानूनगो परगने के पटवारियों का प्रधान था। वह लगान, भूमि, और कृषि संबंधी सभी कागजों को तैयार करता था। जोत की भूमि, उसमें बोई गई फसल, पैदावार, लगान इत्यादि से संबंधित लेखा-जोखा वह रखता था। इसी के आधार पर अमीन लगान निश्चित करता था। शासन कानूनगो से आशा करता था कि वह किसानों के मित्र के रूप में कार्य करेगा एवं यह देखेगा राजसी आज्ञाओ का सही रूप में पालन होता है।

- अमीन

यद्यपि अमीन अकबर के काल में एक प्रांतीय अधिकारी था परन्तु जब कभी किसी भाग में अकाल या सूखा पड़ता था तो आमिल की प्रार्थना पर अमीन उस क्षेत्र का निरीक्षण कर यह निर्णय करता था कि कितनी फसल

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

नष्ट हुई है, तथा लगान में कितनी छूट दी जाती है। यह निर्णय कर वह पुनः प्रान्त के केन्द्र में वापस आ जाता था, यह नियम चलता रहता था ।

- कारकून

कारकून परगने के लिपिक या क्लर्क थे जो लिखा-पढ़ी का कार्य करते थे। अकबर के काल में परगने के अभिलेख केवल फारसी लिपि में लिखे जाते थे

ग्राम्य प्रशासन का शासकीय महत्त्व

मोहना परगना की ग्राम प्रशासन की देखभाल जमीदार, साहूकार तथा व्यापारी एवं जागीरदारों के द्वारा की जाती थी। खाद्य सामग्री कृषि में काम आने वाले बीज सभी का सम्बन्ध शूद खोरी पर निर्भर था। भारतीय समाज में तीसरी महत्वपूर्ण लघु संरचना ग्राम समुदाय है भारतीय ग्राम समुदाय पर आधुनिक साहित्य जैसे कि मेने बेडेन पॉवल, कार्ल मार्क्स, आल्टेयर, राधा कमल मुखर्जी आदि का भारत में गांव के लिए एक अर्द्ध स्वायत्त या स्वतंत्र संरचनात्मक महत्व ग्रहण कर लेता है। सी. टी. मेटआफ का कथन प्रेक्षण कि "ग्राम समुदाय लघु गणतंत्र है। (10)

मोहना परगना के अन्तर्गत ग्राम्य प्रशासन 359 गाँव थे। अकबर की शासन व्यवस्था के अन्तर्गत परगना गाँवों में विभाजित था। मुगलकाल को अधिकतर जनता गाँवों में रहने वाली थी । ग्रामीण जनता को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। प्रथम जमींदार साहूकार तथा अनाज-व्यापारी दूसरे उच्च श्रेणी के किसान, जिनके पास जमीन अधिक होती थी, तीसरी श्रेणी में वे भूमिहीन किसान आते थे जो खेतों में मजदूरी करके अपनी जीविका चलाते थे या वे जिनके पास नाम मात्र की भूमि रहती थी और वे सूद पर बीज लेकर होती करते थे। खेती की वस्तुओं को बनाने के लिए तथा ग्रामवासियों को अन्य सुविधा हेतु गाँवों में बढ़ई, लुहार, धोबी, नाई, इत्यादि निवास करते थे। वे वर्ष भर अपने कार्यों द्वारा किसानों की सहायता करते थे तथा उसकी मजदूरी के रूप में फसल पैदा होने पर इन्हें उपज का एक निश्चित भाग किसान को देना पडता था जिससे उनकी जीविका चलती थी। यह प्रणाली उन्नीसवीं शताब्दी तक प्रचलित रही । मुगलकाल में ग्राम्य शासन की देखभाल के लिये मुकद्दम, पटवारी, एवं अन्य कर्मचारी होते थे। इनके कर्तव्य इस प्रकार से थे ।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

- मुकद्दम

गाँव में सबसे प्रमुख अधिकारी मुकद्दम, चौधरी या पटेल कहलाता था। यह पद वंशानुगत हो गया था। मुकद्दम साधारणतया गाँव का निवासी ही होता था पर कभी-कभी गाँव के बाहर का व्यक्ति भी मुकद्दम नियुक्त कर दिया जाता था। वह गाँव के किसान से लगान वसूल करता था। इसके लिए उसको मालगुजारी का 2.5 प्रतिशत दस्तूरी मिलती थी। कदाचित गाँव से एकत्रित किए गए अनाज से उसे खुराकी भी मिलती थी। मुकद्दम ही गाँव में शांति रखने के लिए उत्तरदायी था। चोरी और डाके का उसी को पता लगाना पड़ता था। वही किसानों को परती भूमि तथा तकावी बांटता था। मोहना की जागीर में मुकद्दम का पद प्रमुख था, जिसका प्रमुख कार्य आय-व्यय के साथ-साथ कृषक समुदाय से लगान बसूल करता था। इसके अलावा किसान की सभी आर्थिक संबन्धी समस्याओं का समाधान करता था।

- पटवारी

ग्राम का दूसरा कर्मचारी पटवारी था। कदाचित किसानों को दिये जाने वाले पट्टे से संबंधित होने के कारण उसे पटवारी कहा जाने लगा। अबुल फजल के अनुसार- वह किसानों का कर्मचारी था तथा किसानों के व्यक्तिगत लगान, लेन-देन का हिसाब-किताब रखना उसका प्रमुख कर्तव्य था। उसके कागजात को 'वही' या कागज-ए-खास अर्थात कच्चा चिट्ठा कहते थे। वेतन के रूप में गाँवों से उसे फसलाना - खुराकी तथा अकबर के काल में व गये लगान की एक प्रतिशत दस्तूरी मिलती थी। पटवारी का पद ग्रामीण कृषक समाज में मुख्य था, किसानों के सभी हिसाब-किताब रखता था। अकबर के काल में पटवारी का पद श्रेष्ठ था।

- गाँव के अन्य कर्मचारी

गाँव के अन्य कर्मचारी चौकीदार, सीमापाल (गाँव को सीमा को रखा करने वाला), तालाब, जलाशयों एवं जलधाराओं के अधीक्षक, पुरोहित, अध्यापक, ज्योतिषी, लुहार, बढ़ई, कुम्हार, नाई, धोबी, ग्वाला, वैद्य, गायक, चारण इत्यादि थे। साधारणतया इन्हें गाँव से उपज का एक भाग जीविकोपार्जन हेतु प्राप्त होता था।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

- गाँव का स्वायत्त शासन

गाँवों का प्रमुख आधार जाति व्यवस्था थी । जातियों में पारस्परिक भाईचारा था। गाँवों में हिन्दू-मुसलमान बिना भेदभाव के मिल-जुलकर रहते थे। किन्तु मुसलमानों की संख्या गाँवों की अपेक्षा कस्बों एवं नगरों में अधिक थी, गाँव में प्रत्येक बिरादरी की पंचायत होती थी। पंचायत का अध्यक्ष सरपंच कहलाता था। अधिकतर साधारण मुकद्दमें यही तय हो जाते थे। ऐसे गाँव भी थे, जहां ग्राम की समस्त आय एकत्रित की जाती थी। इसमें से मालगुजारी दी जाती थी। इसके अतिरिक्त पटवारी, कानूनगो, चौकीदार की दस्तूरी, चौधरी के सत्कार का खर्चा, दिये जाने वाले दान, नट और बाजीगरों के प्रदर्शन का खचर्चा, नालों को पाटने इत्यादि का खर्चा दिया जाता था। उस समय में कृषक समाज तीन वर्गों में विभाजित था :-

- खुदकाश्त किसान

मोहना की जागीर में किसान स्थाई एवं अस्थाई प्रकार के रहते थे, कृषि करने के तरीके कम थे, अधिकतर किसान पारम्परिक खेती को मानता था। पारम्परिक खेती के माध्यम से किसानों की जीवनशैली में शुद्धता थी। जो अपने ही गाँव में अपनी ही भूमि पर खेती करता था। उसे अपनी भूमि को बटाई पर देने का तथा बेचने का अधिकार होता था। इन्हें 'मालिक-ए- जमीन' भी कहा जाता था।

- याहीकाश्त किसान

जो किसान दूसरे गाँव में जाकर खेती करता था और वहां अस्थायी रूप से निवास करता था। इस वर्ग के किसान अधिकतर मोहना की जागीर के आसपास में रहते थे।

- मुजारियात किसान

जो अपनी भूमि से होने वाली आय को अपने परिवार के लिए पर्याप्त नहीं मानता था और इस कारण अधिक भूमि वाले व्यक्ति से किरायेदार के रूप में खेती करने के लिए भूमि ले लेता था।

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

उपर्युक्त वर्गों के अतिरिक्त कृषक मजदूर भी होते थे जो मजदूरी पर खेती से संबंधित कार्यों को करते थे। सिंचाई के लिए किसान वर्षा, कुओं, तालाबों, नदियों और नहरों पर निर्भर थे। कृषि में प्रायः वे सभी साधन प्रयोग में लाये जाते थे, जो भारत में 20 वीं सदी के पूर्वाद्ध तक थे। मोहना जगीर का कृषक समुदाय खेती के

अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के दूध देने वाले पशुओं का पालन करते थे, जिससे परिवार का आर्थिक सुदृढ़ीकरण हो सके।

आर्थिक दृष्टि से पशुपालन का कार्य भी प्रचलित था। अबुल फजल के अनुसार --

'एक किसान को चार बैल दो गायें और एक भैंस बिना पशुकर दिये पालने की अनुमति थी। परगना एवं गाँव स्तर पर कृषि एवं पशुपालन ही उस समय आर्थिक दृष्टि से मुख्य व्यवसाय था । अन्य उद्योग, व्यापार वाणिज्य संबंधी कार्य उच्च स्तर पर होते थे। लगान अर्थात् खराज को मुद्रा के रूप में लिया जाना एक ऐसा कारण था जिसकी वजह से गाँव भी मुद्रा - व्यवस्था में सम्मिलित हो गये थे। गाँवों में मुद्रा - व्यवस्था के कारण एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ था जिसे सर्राफ पुकारते थे। बहुत ही छोटे गाँवों को छोड़कर प्रत्येक गाँव में सर्राफ होते थे । सर्राफ अपने पास धन को सुरक्षा के लिए भी रखते थे और उस पर ब्याज भी देते थे ।'

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि परगने एवं गाँव में आर्थिक दृष्टि से मुख्य व्यवसाय कृषि ही था और कृषकों से मालगुजारी वसूलने का कार्य बादशाह द्वारा नियुक्त कर्मचारी करते थे। जमींदार तथा जागीरदार अपने-अपने क्षेत्रों में अपने कर्मचारियों द्वारा मालगुजारी वसूल करते थे। उन्हें निर्देश थे कि वे हमेशा नियमों के आधार पर निर्धारित कर से अधिक न वसूल करें किन्तु वे हमेशा इससे अधिक वसूल कर लेते थे । यद्यपि अन्य वर्गों के लोगों की अपेक्षा कृषक अधिक समृद्ध थे परन्तु स्थानीय अधिकारी उन्हें अधिक तंग करते थे और उनसे अधिक वसूली भी करते थे। निरन्तर दीर्घकालीन युद्धों और सैनिकों के आवागमन से फसलों को खूब क्षति होती थी, कृषकों को अधिक कष्ट झेलने पड़ते थे। औरंगजेब के राज्यकाल व्यवसाय तथा कृषि की अवनति होने लगी थी। बी. एन. लुनिया के अनुसार-वाणिज्य,'मुगलकाल में आधुनिक युग के समान ही समाज के विभिन्न वर्गों में धन का समुचित विभाजन नहीं था। समाज का ढांचा निम्न वर्ग के शोषण पर ही आश्रित था । इतना होने पर भी लोगों की आर्थिक दशा आज से अधिक श्रेष्ठ थी ।'

E-ISSN No: 2456-6713 Print ISSN No: 3048-6459

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

संदर्भ सूची

1. **मध्यकालीन भारत की सामाजिक आर्थिक धार्मिक एवं राजनीतिक समस्याएं अर्जुन पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली संस्करण** 2022 **पृ.** 319.
2. **मध्यकालीन भारत की सामाजिक आर्थिक धार्मिक एवं राजनीतिक समस्याएं अर्जुन पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली संस्करण 2022 पृ. 321.**
3. **वर्मा हरीश्चंद्र (संपादक) मध्यकालीन भारत भाग 2 पृ. क्र. 101.**
4. **शर्मा, एल. पी. मध्यकालीन भारत पृ. क्र. 508.**
5. **मजुपूरिया संजय ग्वालियर का संस्कृतिक इतिहास (प्राचीन काल से वर्ष 1948 तक) पृ. 209.**
6. **मोहना की गढ़ी का संवत् 1646 का शिलालेख ।**
7. **श्रीवास्तव मीना, मोहना के तोमर राजपूत जागीरदारों का इतिहास, शारदा पब्लिशर्स प्रिंटर्स ग्वालियर, संस्करण 2021, पृ.79.**
8. **राकेश कुमार मुगलकालीन शासन व्यवस्था पृ. क्र. 290.**
9. **शरण - प्रार्विशियल गवर्नमेंट, पृ क्र. 77 एवं श्रीवास्तव, आशीर्वादीलाल अकबर दि. ग्रेट भाग 2 पृ. क्र. 131.**
10. **सिंह योगेंद्र, भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण, प्रेम रावत फोर रावत पब्लिकेशन संस्करण 201, पृ. 309.**